न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या:– 49/2010
जीसीएमएस नं. :–2010/00051

1. मनीराम पुत्र स्व0 श्री सोहनलाल (फौत)
   1/1 श्रीमति लखेसरी उर्फ केसर देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री मनीराम
   1/2 सुभाषचन्द्र पुत्र स्व0 श्री मनीराम
   जति बिश्नोई निवासीगण जण्डवाला बिश्नोईयान तहसील डबवाली, जिला सिरसा
   1/3 सरोप पुत्र स्वव श्री मनीराम धर्मपत्नी स्व0 अमरसिंह जाति बिश्नोई निवासी चक 1 जेडडब्ल्यूडी (लखूवाली) तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. जोराराम पुत्र सोहनलाल
3. मांगीलाल
4. पवन
5. विद्यादेवी

   } पिसरान स्व0 श्री रामस्वरूप पुत्र सोहनलाल अकवाम बिश्नोई निवासीगण जण्डवाला बिश्नोईयान तहसील डबवाली, जिला सिरसा

––अपीलार्थी

बनाम

1. मूर्तिदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री रणजीत जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला बिश्नोईयान तहसील डबवाली, जिला सिरसा
2. सुल्तान
3. रामकुमार

   } पिसरान श्री रणजीत जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला बिश्नोईयान तहसील डबवाली, जिला सिरसा।

4. कृष्ण पुत्र श्री रणजीत (फौत)
   4/1 श्रीमति लक्ष्मी देवी धर्मपत्नी
   4/2 सुमनरानी पुत्री
   4/3 विक्रम कुमार पुत्र
   4/4 प्रियंका पुत्री

   } स्व0 श्री कृष्ण पुत्र स्व0 श्री रणजीत जाति बिश्नोई निवासीयान जण्डवाला बिश्नोईयान, निवासी डबवाली जिला सिरसा।

5. चन्द्रकला बेवा हेतराम जाति बिश्नोई निवासी जण्डवाला बिश्नोईयान तहसील डबवाली जिला सिरसा।
6. राजेन्द्र
7. इन्द्रपाल
8. सुरेन्द्र
9. कमलेश

   } पिसरान श्री हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण जण्डवाला बिश्नोईयान तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ।

अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

10. पृथ्वी पुत्र सुण्डी (फौत)
    10/1 हरकौरी धर्मपत्नी स्व0 श्री पृथ्वीराज पुत्र सुण्डी
    10/2 सुशील पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज पुत्र सुण्डी
11. बुधराम पुत्र श्री सोहनलाल (फौत)
    11/1 श्रीमति कलावती धर्मपत्नी स्व0 श्री बुधराम
    11/2 अश्वनी कुमार पुत्र स्व0 श्री बुधराम
    11/3 श्रीमति उषा पुत्री स्व0 श्री बुधराम धर्मपत्नी श्री सतपाल

जाति विश्नोई निवासीगण जण्डवाला विश्नोईयान तहसील डबवाली जिला सिरसा, हरियाणा

जाति विश्नोई निवासीगण चक 5 एनपीडाबला तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगागनर।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट
विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.08.2010
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, टिब्बी
प्र. सं. 58/2009 अनवान शुर्तिदेवी आदि बनाम मनीराम आदि

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

उपस्थितिः—
श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 14.7.23

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया। इस वाद पत्र के साथ रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट भी प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेण्ट के पूर्वज सुण्डा को चक 1 एच.के.आर. के 14.826 है0 भूमि आवंटित हुई थी। उक्त आवंटित भूमि में से अपीलाण्ट के पिता स्वर्गीय सोहनलाल ने सैटलमैण्ट विभाग के अधिकारियों से सांठ गांठ कर 360 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली इस अंकन को कतई गलत होना बयान करते हुए व प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा होना अभिव्यक्त करते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही कि वे प्रश्नगत 360 हिस्सा भूमि जो स्वर्गीय सोहनलाल के नाम अंकित है को राजस्व अभिलेख में अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नाम दर्ज करवाने व उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने तथा कब्जा में दखलन्दाजी देने से निषिद्ध रहे।

2. अपीलाण्ट/अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत भूमि गैरदाखिलकारी की भूमि थी तथा इस भूमि पर सुण्डा व उसके भाई स्वर्गीय सोहनलाल का संयुक्त कब्जा था। सुण्डा ने अपने भाई स्वर्गीय सोहनलाल का कब्जा होते हुए भी पैंतालिसा गैरदाखिलकारी आवंटन नियमों के अन्तर्गत भूमि का अपने नाम से आवंटन रिकार्ड की सत्यता को छुपाते हुए करवा लिया। तत्पश्चात् सुण्डा द्वारा सत्यता एवं सच्चाई को मानते हुए सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष अपने भाई सोहनलाल को 360 हिस्सा अर्थात 18 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त व रिकार्ड के आधार पर बयान करते हुए उसके हक को स्वीकार किया तथा परिणाम स्वरूप यह भूमि स्वर्गीय सोहनलाल के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि पर स्वर्गीय सोहनलाल व उनकी मृत्यु के उपरान्त अपीलाण्ट का कब्जा होने के तथ्य प्रकट किये। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि स्वर्गीय सोनहलाल की खातेदारी व कब्जा काश्त की होने की स्पष्ट व पुष्ट जवाबदेही की। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला तय करने में अभिलेख की ना तो जांच की व ना ही उसका विवेचन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत 360 हिस्सा भूमि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया किसी का हक न मानकर भी अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत निषिद्ध फरमाने का आदेश अनुचित है। स्वर्गीय सुण्डा द्वारा दिये गये बयानों को एवं इस भूमि पर अपीलाण्ट के कब्जा होने के तथ्य को नजरअंदाज कर अनुचित आदेश पारित किया है। प्रश्नगत भूमि स्वर्गीय सोहनलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से अपीलाण्ट प्रश्गनत भूमि के खातेदार हैं, तथा इस भूमि का उपयोग व उपभोग करने करने के लिए विधि द्वारा अधिकृत है। धारा 212 आरटीए के अन्तर्गत किसी विवाद को शान्त करने के लिए स्थगन नहीं दिया जा सकता अपितु जिस पक्षकार के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला हो, उसी के पक्ष में स्थगन दिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्वर्गीय सोहनलाल के नाम सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश से हुई प्रविष्टि को विधि विरूद्ध न मानकर अपीलांट के विरूद्ध स्थगन जारी करने में भूल की है। भूप्रबन्ध के दौरान एस0 ओ0 ने एल0आर0ओ0 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूण्डाराम व सोहनलाल के बयानों एवं सहमति के आधार पर 18 बीघा भूमि सोहनलाल के नाम लगाई है दोनों भाईयों ने पारिवारिक समझौता किया है। प्रश्नगत भूमि यद्यपि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

गैरदाखिलकारी की थी तथा इस भूमि पर सूण्डाराम–सोहनलाल के पिता लाखा की गैरदाखिलकारी थी गिरदावरी में सोहनलाल का नाम भी था लेकिन सम्वत 2016 की गिरदावरी में अकेले सुण्डा का नाम दर्ज होने से यह भूमि सुण्डा को गैरदाखिलकारी नियमों के अन्तर्गत आवंटित हो गई। सुण्डाराम ने अपने छोटे भाई का भी इस भूमि में हित होना तस्लीम किया व एलआरओ महोदय ने सहमति के आधार पर 18 बीघा भूमि सोहनलाल के पक्ष में छोड़ी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में नाटिफिकेशन नं0 एफ–1(214) रेव/डी/56, 3.09.56, आरआरडी 1988 पेज 349, सीसीसी 2014 (2) पेज 133, सीसीसी 2014 (सुप) पेज 680 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया। इस वाद पत्र के साथ रेस्पोडेण्ट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट भी प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेण्ट के पूर्वज सुण्डा को चक 1 एच.के.आर. के 14.826 है0 भूमि आवंटित हुई थी। उक्त आवंटित भूमि में से अपीलाण्ट के पिता स्वर्गीय सोहनलाल ने सैटलमैण्ट विभाग के अधिकारियों से सांठ गांठ कर 360 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली इस अंकन को कतई गलत होना बयान करते हुए व प्रश्नगत भूमि पर अपना कब्जा होना अभिव्यक्त करते हुए अपीलाण्ट के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही कि वे प्रश्नगत 360 हिस्सा भूमि जो स्वर्गीय सोहनलाल के नाम अंकित है को राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाने व उक्त भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल करने तथा कब्जा में दखलन्दाजी देने से निषिद्ध रहे। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (5) 1998 पेज 163 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रश्नगत 14.826 है0 भूमि सुण्डाराम को आवंटित हुई थी। राजस्व रिकार्ड में यह भूमि अपीलाण्ट के नाम दर्ज है। रेस्पोडेण्ट का कथन है कि विवादित आराजी में से 0.360 है0 भूमि को सोहनलाल ने भू प्रबन्ध अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने नाम से दर्ज करवा ली जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सोहनलाल के वारिसान के नाम दर्ज है जिसमे सोहनलाल व उसके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अपीलाण्ट का कथन है कि वह एक अभिलिखित खातेदार काश्तकार है उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यह तथ्य को वाद में तय होना है कि विवादित आराजी 0.360 है0 में किसका हक व अधिकार है। प्रार्थना–पत्र में विवादित आराजी अप्रार्थीगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नाम दर्ज है तथा आवंटन सुण्डा को होना जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि जब तक यह तय नहीं हो जाता है कि विवादित आराजी में रेस्पोडेण्ट का हक व हिस्सा है या अपीलाण्ट का तब तक विवादित भूमिं किसी प्रकार का और विवाद नहीं हो इसके लिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है ताकि अन्य कोई और विवाद नहीं बढे। अधीनस्थ न्यायालय ने यह अभिमत जाहिर करते हुए स्थगन आदेश जारी किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2010 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.7.23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)